

## राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, चंदखुरी, दुर्ग (छ.ग.)

प्रदेश के निजी राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संचालित (पैरामेडिकल) आयुर्वेद कम्पाउण्डर एवं पंचकर्म तकनीशियन के एक वर्षीय पाठ्यक्रम के सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु प्रवेश नियम।

01. उपलब्ध सीट :- 01. आयुर्वेद कम्पाउण्डर 25 सीट  
02. पंचकर्म तकनीशियन 25 सीट

01. सीटों का आरक्षण :- प्रवीणता के आधार पर प्रवेश

02. प्रवेश हेतु पात्रता :- केवल उसी अभ्यर्थी को आवेदन करने की पात्रता होगी जो :-

01. भारत का नागरिक हो।  
02. छ.ग. का वास्तविक निवासी हो (छ.ग. शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र लगाना आवश्यक है)  
03. दोनों पाठ्यक्रमों (आयुर्वेद कम्पाउण्डर एवं पंचकर्म तकनीशियन) हेतु महिला एवं पुरुष दोनों आवेदक पात्र होंगे।  
04. कार्य दायित्वों को ध्यान में रखते हुये शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ सक्षम अभ्यर्थियों को ही आवेदन की पात्रता होगी।  
05. सर्वप्रथम छ.ग. राज्य के उम्मीदवार से प्रवीणता क्रम से सीट भरी जावेगी। सीट रिक्त रहने की दशा में अन्य राज्य के उम्मीदवारों की प्रवीणता सूची से सीट भरी जावेगी।

03. शैक्षणिक अर्हताएं :-

विज्ञान विषय (बायोलॉजी समूह) के साथ 10+2 प्रणाली की 12वीं परीक्षा, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण।

विशेष :-

01. यदि किसी आवेदक के 12वीं परीक्षा के अंकों में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना द्वारा वृद्धि होती है, तो ऐसे आवेदक आवेदन पत्र में संशोधन हेतु प्राचार्य, राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा (पैरामेडिकल) महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को प्रावीणता सूची प्रकाशन के पूर्व अपना आवेदन दे सकते हैं।
04. आयु :- दिनांक 30 सितंबर 2024 को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो।
05. चयन पद्धति :-
01. प्रवेश हेतु विज्ञापन प्रकाशन के अंतिम तिथी के उपरांत 10+2 की 12वीं कक्षा (बायोलॉजी समूह) के प्राप्तांकों की प्रावीणता के आधार पर उपलब्ध सीटों के अनुरूप प्राचार्य, राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा (पैरामेडिकल) महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) द्वारा प्रवेश हेतु मेरिट/प्रावीणता एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

02. समान कुलांक प्राप्त आवेदकों की मेरिट, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निर्धारित की जायेगी।  
(अ) बायोलॉजी (ब) केमिस्ट्री (स) फिजिक्स
03. यदि उपरोक्त क्रम में भी अंक समान रहते हैं तो जिस आवेदक की आयु अधिक होगी उसे प्रावीणता क्रम में ऊपर रखा जायेगा।
04. तत्पश्चात् प्रावीणता एवं प्रतीक्षा सूची प्राचार्य, शास. आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर की ओर अनुमोदनार्थ प्रेषित की जावेगी।
06. **प्रवेश प्रक्रिया:—**
01. प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर द्वारा अनुमोदित सूची के पश्चात् प्राचार्य द्वारा तैयार मेरिट/ प्रावीणता सूची एवं आवेदक द्वारा पाठ्यक्रम हेतु दिये गये प्राथमिकता के आधार पर आवेदक को प्रवेश हेतु उपस्थित होने के संबंध में कॉल लेटर / एस.एम.एस. / ईमेल द्वारा सूचना प्रेषित की जावेगी। साथ ही चयनित उम्मीदवारों की सूची महाविद्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
02. प्रवेश के समय जमा की गई फीस की राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
03. आवेदक को प्रवेश के समय महाविद्यालय में आवश्यक सभी मूल प्रमाण-पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
04. यदि आवेदक निर्धारित तिथि तक प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होता है या प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज एवं शुल्क की संपूर्ण राशि का ड्राफ्ट/नगद प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी योग्यता क्रमानुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश का अवसर खो देगा। उसके स्थान पर उपलब्ध आवेदकों में से प्रावीणता क्रम से प्रवेश दिया जावेगा।
05. प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदक के संस्था में उपस्थित न होने पर या प्रवेशोपरांत संस्था छोड़ देने पर या किसी अन्य कारण से स्थान रिक्त होता है तो उन रिक्त स्थानों के विरुद्ध मेरिट/ प्रावीणता के आधार पर पुनः आवेदक को प्रवेश दिया जावेगा।
07. **प्रवेश रद्द करना :—** यदि यह पाया गया कि कोई आवेदक झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि आवेदक को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो आवेदक को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर प्राचार्य, राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा (पैरामेडिकल) महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) का निर्णय अंतिम होगा।
08. **चिकित्सकीय उपयुक्तता:—** चयनित उम्मीदवार को प्रवेश हेतु चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी तथा इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्हें प्रवेश तभी मिल सकेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त प्रमाणित हो जायेंगे।

**09. आवेदन पत्र संबंधी जानाकारी:-**

(क) आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप अनुसार आवेदक को आवेदन करना होगा जो महाविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक तथा नगद राशि की रसीद, निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न होने पर ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। अपूर्ण भरे हुए आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रवेश के इच्छुक आवेदक का आवेदन पत्र प्राचार्य, राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा (पैरामेडिकल) महाविद्यालय, चंदखुरी, दुर्ग (छ.ग.) को निर्धारित तिथि 25.06.2024 अथवा विलंब शुल्क सहित 29.06.2024 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जाना चाहिए।

(ख) आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से लगाना होगा। :-

01. 10+2 प्रणाली से उत्तीर्ण 12वीं परीक्षा (बायोलॉजी समूह) की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
02. आयु संबंधी मेट्रिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
03. यदि किसी आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र एवं जाति सत्यापन प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
04. छ.ग. के मूल निवासी होने संबंधी छ.ग. शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
05. आवेदक स्वयं का पूर्ण पता व पिन कोड लिखा हुआ लिफाफा संलग्न करें।
06. आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर "आयुर्वेद कम्पाउण्डर एवं पंचकर्म तकनीशियन हेतु आवेदन पत्र" लिखें।
07. आवेदक का आधार कार्ड संलग्न करें।

**10. शुल्क:- आवेदन शुल्क तालिका**

	बैंक ड्राफ्ट की राशि	अंतिम तिथि
बिना विलंब के शुल्क	1000/-	25.06.2024
विलंब शुल्क के साथ	1200/-	29.06.2024

नोट :-

01. आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्राचार्य, राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा (पैरामेडिकल) महाविद्यालय, अथवा Principal, Rajiv Lochan Ayurved Medical (Paramedical) College के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, एकाउंटपेयी हो तथा दुर्ग में देय हो, संलग्न करें।
02. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के पीछे अपना पूरा नाम लिखें।
03. अंतिम तिथि (विलंब शुल्क सहित) के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को अमान्य कर दिया जावेगा एवं शुल्क भी वापस नहीं किया जायेगा। डाक के विलंब के लिए प्राचार्य जिम्मेदार नहीं होंगे।
04. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

05. आवेदन पत्र पूर्णतः न भरे जाने एवं बिंदु-9 में उल्लेखित आवश्यक दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। मूल प्रमाण-पत्र संलग्न न करें, इन्हें प्रवेश के समय ही साथ लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज साथ नहीं लाता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा और वह प्रवेश का अवसर खो देगा। प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नगर नवा रायपुर द्वारा इन पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित प्रस्तावानुसार होगी। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्राचार्य, राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा (पैरामेडिकल) महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) का निर्णय अंतिम होगा।
06. प्रवेश संबंधी विस्तृत जानकारी महाविद्यालय के वेबसाइट – [www.rlamcollege.org](http://www.rlamcollege.org) से प्राप्त की जा सकती है।

प्राचार्य

राजीव लोचन आयुर्वेद  
चिकित्सा महाविद्यालय,  
चंदखुरी, दुर्ग (छ.ग.)